

एस. एल.	तिथि	कार्यालय टिप्पणी, संख्या रिपोर्ट, आदेश या कार्यवाही या दिशाएँ और निबंधक के साथ आदेश हस्ताक्षर के साथ	न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश
			<p><u>सिविल अवमानना याचिका संख्या 27 सन 2023</u> <u>माननीय एस. के. मिश्रा, जे.</u></p> <p>श्री भुपेश कांडपाल, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता। श्री जे. एस. विर्क, राज्य के उप महाधिवक्ता। राज्य के लिए विद्वान वकील उन प्रतीक्षित अनुदेशों को पेश करें जो न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. सी. आर. एल. No.1190 ऑफ 2022 दिनांक 30.08.2022 के अनुपालन में थी। अवमानक-प्रत्यर्थी ने एक दल का गठन किया है जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जिन्होंने केस डायरी और जाँच अधिकारी, जिसने इस मामले में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया है, द्वारा दर्ज किया गया बयान की जाँच की है और वे कोई अनियमितता या कोई पक्षपातपूर्ण जाँच नहीं पाते हैं। मामले के उस दृष्टिकोण में, उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह पर्याप्त रूप से अनुपालित किया गया है। इसलिए, सिविल अवमानना याचिका खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">(एस. के. मिश्रा, जे.) 17.02.2023 (नियमों के अनुसार तत्काल प्रमाणित प्रति प्रदान करें)</p> <p>रवि</p>